

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

दिनांक:-

क्रमांक:-

जिला, वनमण्डल झालावाड़ में Extension of Kolana Air Strip at Jhalawar के निर्माण कार्य में 120.4062 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव ऑनलाईन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेब पोर्टल OSMFCP पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/others/21735/2016 पर दिनांक 07.10.2016 को रजिस्टर किया गया है, प्रस्ताव को परीक्षणकरने पर दिनांक 05.09.2017 को कुछ आक्षेप लगाये गये हैं, उनका बिन्दुवार जवाब निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	आक्षेप	आक्षेप का जवाब
1.	बिन्दु संख्या -2 प्रस्ताव के बिन्दु संख्या B-1 में सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना नहीं किये जाने के कारण स्पष्ट नहीं किया गया है, अगर यूजर ऐजेन्सी द्वारा संलग्न किया गया है तो प्रस्ताव में संलग्नक की स्थिति इंगित करे।	यूजर ऐजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना नहीं किये जाने का कारण अतिरिक्त दस्तावेजों में (Detailed report on violation of Provision of forest acts) की प्रति upload कर दी गयी है।
2	बिन्दु संख्या 9 के बिन्दु संख्या H से यूजर ऐजेन्सी द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति संलग्न नहीं की गयी है।	पार्ट I के बिन्दु संख्या H में पर्यावरण स्वीकृत की कार्यवाही की स्थिति का उल्लेख कर दिया गया है।
3	बिन्दु संख्या 10 प्रस्ताव के बिन्दु संख्या 1 में पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता है, अतः वन्यजीव स्वीकृति लिया जाना प्रस्तावित है।	पार्ट I के बिन्दु संख्या I में वन्यजीव स्वीकृति को कार्यवाही की प्रगति का उल्लेख कर दिया गया है।
4	बिन्दु संख्या 11 प्रस्ताव के बिन्दु संख्या K-1 के बिन्दु संख्या 5 में ग्रामसभा कार्यवाही विवरण संलग्न किया गया है। उसमें वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही न करके एयर स्ट्रिप एक्सटेंशन की स्वीकृति दी गयी है, जो उचित नहीं है। इसे संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।	ग्रामसभा द्वारा वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दावा प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अनापत्ति जारी की गई जिसका उल्लेख वन अधिकार समिति की बैठक में किया गया।
5	बिन्दु संख्या -12 प्रस्ताव के बिन्दु संख्या L में 120.4062 हे. वन भूमि को वन विभाग के प्रस्ताव के बदले आरक्षित किये जाने के आदेश एवं उससे संबंधित जमाबन्दी संलग्न की जानी प्रस्तावित है।	अतिरिक्त दस्तावेजों में जमाबन्दी की प्रति upload कर दी गयी है।
6	बिन्दु संख्या 19 पार्ट -II के बिन्दु संख्या 11 (1) के उपवन संरक्षक द्वारा 9.71 है. वन भूमि पर निर्माण के होने का बाबत अंकित किया जाकर वन संरक्षक अधिनियम 1980 का उलंघन होना अवगत कराने के साथ ही मामला न्यायालय में विचाराधीन होना अवगत कराया गया है, इस संबंध में उपवन संरक्षक झालावाड़ द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1580 में कया कार्यवाही की गई सहित तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।	यह बिन्दु वन विभाग से संबंधित है, यह दस्तावेज भी अतिरिक्त दस्तावेजों में upload किया जा चुका है।

404

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़